कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भोपाल में स्थित केंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं htts://bhopal.dcourts.gov.in/#tenders पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तो के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 30.05.2024 को सांय 05.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 31.05.2024 को सांयकाल 05.00 बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते है। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/– नगद जमा करने पर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 30.05.2024 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

<u>निविदा हेतु शर्ते</u>

नवीन जिला न्यायालय भवन, भोपाल में केंटीन के संचालन के संबंध में निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

01. निविदाकर्ता द्वारा निविदा आवेदन संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करेगा और निविदा आवेदन के साथ राशि रूपये 5,000/– की ई0एम0डी राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

02. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ केंटीन संचालन हेतु 2,00,000/–रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 01 वर्ष की अवधि के लिए जारी F.D.R. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से अमानत के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकार की जाएगी, उस निविदाकर्ता हेतु एफ0डी0आर0 की अमानत राशि एक वर्ष के लिए सुरक्षित जमा रहेगी और उक्त एफ0डी0आर0 पर अर्जित ब्याज निविदाकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शेष निविदाकर्ताओं, जिनकी निविदायें असफल रही हैं, द्वारा दी गयी एफ0डी0आर0 चयन प्रकिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जाएंगी।

03. प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रूपये **41,000/–(रूपये इकतालीस हजार मात्र)** या स्वीकृत निविदा के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित की गई राशि अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अग्रिम देय होगी, यदि लगातार तीन माह तक प्रीमियम राशि जमा करने में असफल रहता है, उक्त स्थिति में अमानत राशि जप्त कर किराया वसूल किया जाएगा तथा अनुबंध तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

04. यह कि यदि निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या किन्ही अन्य कारणों से अनुबंध अवधि के पूर्व ही निरस्त की जाती है तो किसी भी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई राशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी नही रहेगा और एफ0डी0आर0 की राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा की जावेगी।

05. निविदाकर्ता जिसके पक्ष में निविदा स्वीकार की जाती है, केंटीन का संचालन अनुबंध निष्पादन तिथि से 01 वर्ष के लिए करेगा। यदि आगामी वर्ष के लिए निविदाकर्ता पुनः केंटीन का संचालन चाहता है, उस स्थिति में उसके द्वारा 01 माह पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमति दिए जाने पर पूर्व की निर्धारित मासिक किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मासिक किराया शर्त के अधीन पुनः 01 वर्ष के लिए केंटीन संचालन निविदाकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। निविदाकर्ता के पक्ष में 01 वर्ष की अनुमति दिए जाने की स्थिति में उसके द्वारा पुनः 2,00,000/–रूपये की एफ0डी0आर0 अमानत स्वरूप दी जावेगी।

06. प्रधान जिला न्यायाधीश के अनुमोदन से केंटीन के सुचारू रूप से संचालित किए जाने एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि आदि के प्रयोजन से उचित निर्देश आवश्यकतानुसार केंटीन संचालक को दिया जाएगा, जिसका पालन करने हेतु संचालक उत्तरदायी होगा।

07. निविदाकर्ता द्वारा केंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस को प्रातः 08.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक की अवधि में किया जाएगा। समय समय पर प्रधान जिला

न्यायाधीश के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार यथा लोक अदालत आदि विशेष अवसरों पर केंटीन का संचालन निर्देशानुसार किया जाएगा।

08. केंटीन संचालन में नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित यूनिफार्म में उपस्थित रहना होगा, यूनिफार्म का अनुमोदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कराया जायेगा।

09. केंटीन संचालन के लिए किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से कराई जायेगी।

10. निविदाकर्ता केंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा और खाद्य सामाग्री की दरें बाजार मूल्य से अधिक नहीं होंगी तथा खाद्य सामाग्री की दरें, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमोदित कराई जाएंगी और उक्त अनुमोदित दर पर ही खाद्य सामाग्री का विक्रय किया जाएगा।

11. खाद्य सामाग्री की अनुमोदित दरों को केंटीन परिसर के सहज दृश्य भाग पर निविदाकर्ता द्वारा केंटीन संचालन के समय प्रदर्शित किया जाएगा।

12. निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने पर प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम भोपाल एवं संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा और केंटीन का संचालन विहित नियमों का पालन करते हुए, श्रम विधि आदि का उल्लंघन न करते हुए करेगा।

13. निविदाकर्ता द्वारा संचालन के समय समस्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिष्ठान का संचालन किया जाएगा और जिसका सम्पूर्ण दायित्व संचालनकर्ता पर होगा।

14. केंटीन के संचालन से संबंधित किसी भी विवाद या उत्तरदायित्व के लिये (आपराधिक उत्तरदायित्व सहित) प्रथम पक्ष ही उत्तरदायित्व होगा द्वितीय पक्ष का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

15. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

16. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

17. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा ऐसा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे। निविदाकर्ता द्वारा केंटीन परिसर का स्वयं के व्यय पर आवश्यकतानुसार रंग रोगन, मरम्मत आदि कार्य पूर्व अनुमति उपरांत कर सकेगा।

18. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रथमतः प्रस्तावित निर्माण की स्थिति से अवगत कराते हुए अनुमोदन उपरांत ही किया जा सकेगा।

19. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगें तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम उपयोग नहीं करेंगे। केंटीन तथा आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने में निविदाकर्ता के असफल रहने पर केंटीन संचालनकर्ता शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

20. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

21. केंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

22. आवंटी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालन हेतु आवंटन किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त करने पर आवंटी को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा उक्त स्थान को रिक्त करा लेने का प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को अधिकार होगा।

23. प्रतिष्ठान पर पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला और इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे।

24. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र ''यदि उसने पूर्व में केंटीन का कार्य किया हो'' अथवा इस तरह का कोई अन्य कार्य किया गया हो, उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए उसे प्राथमिकता दी जा सकेगी।

25. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन स्थान का निरीक्षण कर सकेगा।

26. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों, अनुभवी/बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

27. केंटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे आधारकार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में से एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

28. केंटीन संचालनकर्ता केंटीन के संचालन के दौरान निकले हुए अपशिष्ट खाद्य सामाग्री आदि का निराकरण उचित तरीके से करेगा।

29. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदायें दिनांक15.05.2024 से 30.05.2024 को सायं 05.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं को विचार में नहीं ली जाएंगी।

30. प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक 31.05.2024 को सायं 05.00 बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)